न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 200/2019 निर्णय दिनांक :– 13/12-19

उनवान

1. रामअवतार सांवरिया पुत्र श्री नानगराम जाति खटीक निवासी वार्ड संख्या 11, खटीको का मोहल्ला, कस्बा चाकसू, जिला जयपुर राज0।

––वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।.

––प्रतिवादी

<u>प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती त/धा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

वाके ग्राम चाकसू–पूर्व, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 4122 रकवा 0.20 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.20 है0 में हि0 1/2 एंव खसरा नंबर 4124

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

रकबा 0.15 है0 मे हि0 1/2 का प्रार्थी रिकोर्डेड काबिज खातेदार, काश्तकार है । प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनाक 15.09.2005 को पूर्व खातेदार ललिता देवी पत्नी श्री शंकरलाल जाति बैरवा निवासी वार्ड सं. 20, कस्बा चाकसू से कय की गयी है । भूमि खरीदने के दिन से ही प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज, काश्त चला आ रहा है । रजिस्टर्ड विकय पत्र निष्पादन किये जाते समय लिपिकीय भूल एंव टाईपिंग मिस्टेक, सहवन से रजिस्टर्ड विकय पत्र मे प्रार्थी का नाम आकाश है । सांवरिया गलत अंकित हो गया एंव रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर भी गलत नाम आकाश सांवरिया के नाम से प्रार्थी के नाम कयशुदा भूमि का नामान्तकरण राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद हो गया । जबकि प्रार्थी स्वंय के बैंक खाते की पासबूक, प्रार्थी की गैस डायरी, प्रार्थी की कक्षा 10 वीं बोर्ड की अंकतालिका, ड्राईविंग लाईसेन्सय पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम रामअवतार सांवरिया अंकित चला आ रहा है । प्रार्थी का सही एंव वास्तविक नाम रामअवतार सांवरिया है तथा इसी नाम से प्रार्थी को जाना, पहचाना, पुकारा जाता है । उक्त त्रुटि से मुझ प्रार्थी के वैधानिक अधिकारो पर कोई प्रभाव नही पडता है । उक्त त्रुटि का प्रार्थी को आभास नहीं हो सका । जब प्रार्थी दिनाक 8.7.2019 को तहसील कार्यालय मे जाकर किसान केडिट कार्ड के लिये जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

निकलवाने के लिये गया तो उसे उक्त त्रुटि का ज्ञान हुआ। प्रार्थी ने राजस्व कर्मचारियो, पटवारी जी से, तहसीलदार जी से उक्त त्रुटि को वुरूस्त किये जाने के बारे मे निवेदन किया तो उन्होने कहा कि उक्त त्रुटि को जल्द ही दुरूस्त कर दिया जावेंगा, कोई दिक्कत नहीं है । ऐसी त्रुटि होती रहती है। इसके बाद भी प्रार्थी तहसील कार्यालय के चक्कर काटता रहा दिनाक 8.11.2019 को प्रार्थी ने दुबारा तहसील कार्यालय मे तहसीलदार जी से निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने उक्त नाम दुरूस्ती करने से इंकार कर दिया और कहां कि तुम कोर्ट से ही उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाओं। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह मान्य न्यायालय मे जरिये प्रार्थना पत्र त/धा 136 भू0 रा0 अधिनियम जहां राजस्व रिकोर्ड मे आकाश सांवरिया पुत्र नानगरार्म सांवरिया अंकित है, उसके स्थान पर रामअवतार सांवरिया पुत्र श्री नानगराम अंकित करवावे । लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त कराने की कोई मयाद नही है। जानकारी से अंदर मयाद पेश है। यह–कि वादग्रस्त भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार मान्य न्यायालय को है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र खातेदारी भूमि खसरा नंबर 4122 रकबा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की 0.20 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.20 है0 एंव खसरा नंबर 4124 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम चाकसू–पूर्व, तहसील चाकसू

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के राजस्व रिकोर्ड में जहां आकाश सांवरिया पुत्र नानगराम सांवरिया अंकित है, उसके स्थान पर रामअवतार सांवरिया पुत्र श्री नानगराम दुरूस्त करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने पेश किया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार निम्नानुसार पेश किया गया कि :– मद संख्या 1 मुताबिक राजस्व जमाबंदी ग्राम चाकसू पूर्व सम्बत 2073–2076 के खाता संख्या 260 कुल किता 1 रकबा 0.20 है0 व खाता संख्या 609 कुल किता 1रकबा 0.15 है0 में दर्ज अंकन की हद तक स्वीकार है। मद संख्या 2 वादी स्वय साक्ष्य सबूतों से सिद्ध करें। मद संख्या 3 प्रथम भाग वादी स्वयं सिद्ध करें। शेष के क्रम में प्रार्थी के दस्तावेज जैसे ड्राईविंग लाइसेंस मतदाता पहचान पत्र आधारा कार्ड परिवार राशन कार्ड , पेन कार्ड, गैस डायरी व बोर्ड अंकतालिका में प्रार्थी का नाम रामअवतार सांवरिया पुत्र नानगराम सांवरिया दर्ज है।. मद संख्या 4 से 5 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 6 से 8 कानूनी है।

जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी की सुनी गयी तो वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये जवाब सरकार व प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना जाहिर किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में बैंक पासबुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

ड्राईवर लाईसेंस, पेनकार्ड, पहचान पत्र, विक्रय पत्र नगरपालिका का प्रमाण पत्र व शपंथ स्टाम्प प्रार्थी व सखातेदार दीपक का बतौर दस्तावेज पेश किये गये। बहस वकील वादी पर गोर किया व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जवाब सरकार का परीक्षण किया गया तो प्रार्थी का नाम सहवन से विक्रय पत्र में आकाश सांवरिया लिख देने से राजस्व रिकार्ड में भी आकाश सांवरिया अंकित हो गया जबकि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेज बैंक पासबुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, ड्राईवर लाईसेंस, पेन कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम रामअवतार सांवरिया अंकित है, केवल राजस्व रिकार्ड में आकाश सांवरिया अंकित होने से प्रार्थी का नाम प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 4122 रकबा 0.20 है0 व खसरा नम्बर 4124 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम चाकसू पूर्व के राजस्व रिकार्ड में आकाश सांवरिया पुत्र नानगराम सांवरिया के स्थान पर रामअवतार उर्फ आकाश सांवरिया पुत्र श्री नानगराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जतो है व इसी शुद्धि अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.01.17 17:20:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: